

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

ई-मेल

दूरभाष : (0522) 2720638, 2720740, 2720634(फैक्स)  
Tele: (0522) 2720638, 2720740, 2720634(Fax)  
ई मेल E mail: up.gdc soi@gov.in



पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र (उ०क्षेत्र)  
East Uttar Pradesh Geo-spatial Data Centre (NZ)  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA  
5 - विभूति खण्ड 5 - Vibhuti Khand  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
Gomti Nagar,  
LUCKNOW-226 010

सं० ५०१५ /37-जी-9

दिनांक 8 -10-2015

पूर्वी उ०प्र०भू-स्था०अ०के० नेमी आदेश सं० ०१ /37-जी-9 दिनांक 8 -10-2015

01- मानदेय :-

इस केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाया गया मानदेय प्रदान किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	मानदेय की राशि	टिप्पणी
01	श्री बाल गोविन्द राम, अधिकारी सर्वेक्षक	₹ 5,000/-	To enquire into the charges framed against Shri Kishori Ram, khalasi East UPGDC, Lucknow

**प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक E1-2423/1316-Policy(Enquiry) Dated 08-09-2015.**

उपरोक्त सन्निहित व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2015-16 के लिए संस्वीकृत आय-व्ययक अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।

2- आदेश

इस केन्द्र के पत्र सं० 6067 /37-जी-9 दिनांक 22-12-2014 के अर्न्तगत जारी नेमी आदेश सं०13/दिनांक 22.12.2014 के अर्न्तगत श्री किशोरी राम आत्मज श्री जादो राम, खलासी नियमित खलासी को दिये गये अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के दण्ड को अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (सी०सी०ए०)नियमावली 1965 के नियम 27(2) (1) के आदेश के तहत आनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 22-09-2015 के आदेश सं० सी-299/5-ए (किशोरी राम) के अर्न्तगत अपीलकर्ता को दिये गये दण्ड के प्रभाव को कम कर निम्न दण्ड में परिवर्तित किया जाता है ।

**अर्न्त** संचयी प्रभाव से दो वेतन -वृद्धियों पर रोक

और

ऊपर कम किये गये दण्ड के फलस्वरूप श्री किशोरी राम आत्मज श्री जादोराम नियमित खलासी को इस आदेश के प्राप्ति के 20 दिनों के सरकारी सेवा में बहाल किया जाये ।

और

अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तिथि से सेवा में बहाली तक की अवधि को ड्यूटी नहीं माना जाये तथा यदि श्री किशोरी राम, नियमित खलासी चाहें तो वह उक्त अवधि को किसीप्रकार की देय एवं स्वीकार्य छुट्टी में परिवर्तित करवा सकते हैं । अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर उन्हें प्रदान किये गये सभी लाभ /भुगतान वापस ले लिये जायें ।

**प्राधिकार:-** अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र का पत्र सं.सी-204/5-ए(किशोरी राम) दिनांक 14.09.2015

...2...



3- पदोन्नति

इस कार्यालय के श्री विकास कुमार श्रीवास्तव, पटलचित्रक ग्रेड- II को उनके नाम के आगे दर्शाये गये विवरणानुसार नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र० सं०	नाम एवं पद	पदोन्नति पर पद	पदोन्नति की तिथि	वेतनमान	प्राधिकार
1-	श्री विकास कुमार श्रीवास्तव, पटलचित्रक ग्रेड- II	सर्वेक्षण सहायक	29-09-2015	पी०बी०-1 9300-34800+ ग्रेड वेतन 4200/-	भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं० सी-7245/985-सर्वेक्षण सहायक. (संग्रह-13) दिनांक 28-09-2015

1- उपरोक्त अधिकारियों के पदोन्नति पद पर नये वेतनमान में नियत के लिये मूल नियमावली एफ०आर० 22 (1) (क) (1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा।

2- उपरोक्त अधिकारी पर होने वाला अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

4- सेवा निवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से सेवा निवृत्त हो गये हैं:-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
01	श्री धर्म राज सिंह, मानचित्रकार ग्रेड- III	31-08-2015
02.	श्री भारत सिंह, तकनीकी श्रमिक	30-09-2015
03.	श्री मोहम्मद युनूस, गार्ड	30-09-2015

(ओ०पी० त्रिपाठी )

निदेशक

पूर्वी 30प्र०भू-स्था०ऑ०के०

प्रतिलिपि- 1- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।

2- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान (एस०टी०आई०) ----- 1 प्रति।

3- भू-स्थानिक केन्द्र - मध्य प्रदेश/ राजस्थान/ आंध्र प्रदेश/ महाराष्ट्र एवं गोवा/ उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश/ पंजाब एवं चण्डीगढ़/हरियाण/जम्मू और कश्मीर/बिहार/हिमाचल प्रदेश/ आसाम एवं नागालैण्ड/मेघालय और अरुणाचल प्रदेश/ त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम/प० बंगाल, सिक्किम और अण्डमाननिकाबार दीप समूह/ओडीसा/झारखण्ड/ छत्तीसगढ़/गुजराज, दमन और दीव/ कर्नाट/तमिलनाडु और पांडिचेरी/ केरल और लक्षदीप/ राष्ट्रीय/ सर्वे हवाई एवं दिल्ली

4- निदेशक - उत्तरी मुद्रण वर्ग/पूर्वी मुद्रण वर्ग/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ज्यो० एवं अनु० शाखा/अंकीय मानचित्रण केन्द्र/ भौगोलिक सूदूर संवेदन निदेशालय

5- वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून।

6- लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

e-mail